न्यायमूर्ति जी.सी.मितल के समक्ष

भाग सिंह-अपीलार्थी

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम-प्रतिवादी

आदेश क्रमांक 138/1980 से प्रथम अपील

3 दिसंबर 1981.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948 का XXXIV) - धारा अंतर्देशीय 2(12) - फैक्टरी अधिनियम (1948 का LXIII) - धारा 2 (के) - पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (1958 का XV) - धारा 2 (30) पेट्रोल पंप और एक ही परिसर में सर्विस स्टेशन - इनमें से कोई भी व्यवसाय - क्या फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 (के) के अर्थ के भीतर 'विनिर्माण प्रक्रिया' शामिल है - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान - क्या आकर्षित परिसर जहां ऐसे व्यवसाय किए जाते हैं पर–चाहे 'दुकान' हो।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 (के) में निहित विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि तेल, पानी, सीवरेज या किसी अन्य पदार्थ को पंप करने की प्रक्रिया को एक विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें पेट्रोल या डीजल की डीलरशिप शामिल है। यह सच है कि इसमें कुछ पंपिंग

प्रक्रिया शामिल है क्योंकि पेट्रोल और डीजल को पेट्रोल डीलरों द्वारा विशाल टैंकों में संग्रहीत किया जाता है, लेकिन परिभाषा का अंतर्निहित उद्देश्य रिफाइनरियों से तेल या पृथ्वी के नीचे से पानी आदि को पंप करना प्रतीत होता है। अनिवार्य रूप से, पेट्रोल पंप डीलर द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय पेट्रोल या डीजल बेचना है, जैसा भी मामला हो, न कि तेल पंप करना। इसलिए, पेट्रोल डीलर द्वारा पेट्रोल या डीजल की बिक्री एक 'विनिर्माण प्रक्रिया' नहीं होगी।

(पैरा 4)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि जब तक प्रक्रिया के बाद कोई नई विपणन योग्य वस्तु अस्तित्व में नहीं आती है और उसका उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान नहीं किया जा सकता है, तब तक उस प्रक्रिया को विनिर्माण प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है। मोटर कारों की मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन चलाना 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि मरम्मत के बाद कोई नई विपणन योग्य वस्तु अस्तित्व में नहीं आती है। ग्राहक अपने वाहन लाते हैं और मरम्मत के बाद सेवा शुल्क का भुगतान करते हैं और अपने वाहन ले जाते हैं। इसलिए, मोटर वाहनों की मरम्मत कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है।

(पैरा 5)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि 'दुकान' का मतलब कोई भी परिसर है जहां कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इसमें कार्यालय, स्टोर-

रूम, गोदाम या गोदाम शामिल हैं, चाहे उसी परिसर में या अन्यथा, ऐसे व्यापार या व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है, वह परिसर जहां एक फर्म ऑटोमोबाइल की मरम्मत के लिए सेवाएं प्रदान करने के अलावा पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप में लगी हुई है, निश्चित रूप से एक 'दुकान' होगी।

(पैरा 6)

श्री आर एस शर्मा, पी सी एस, ई एस आई न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय के दिनांक 30 अक्टूबर, 1979 के आदेश से पहली अपील, आवेदन को खारिज कर दिया गया और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

आर एल चोपड़ा, अपीलकर्ता के वकील।

के एल कपूर, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

गोकल चंद मितल, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) मेसर्स नेशनल सर्विस एंड पेट्रोल पंप ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,

1948 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 75 के तहत एक आवेदन दायर किया। - (इसके बाद निगम कहा जाएगा), अधिनियम को उनकी स्थापना तक विस्तारित करना। उन्होंने दलील दी कि यह दो स्वतंत्र व्यवसाय चला रहा था, एक पेट्रोल आदि की बिक्री का और दूसरा मोटर कारों आदि की मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन चलाने का और दोनों व्यवसायों में से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता था और एक इतना अंतर नहीं था- दूसरे पर इतना निर्भर होना कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। दोनों व्यवसायों के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग लेने पर, वे दस से कम थे और इसलिए, अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं थे। विकल्प में दलील दी गई कि अगर दोनों व्यवसायों के कर्मचारियों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी उनकी उम्र 20 से कम है और चूंकि याचिकाकर्ता कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं चला रहे थे, फिर भी अधिनियम को उस पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनियम ऐसे परिभाषित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र (अतिरिक्त) दिनांक 30 अगस्त 1976 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 10102-एसए-III-76/10308 दिनांक 30 अगस्त 1976 के क्रम संख्या 3 के मद्देनजर बीस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।

(2) इस मामले का निगम ने विरोध किया था और उनका रुख यह था कि याचिकाकर्ता विनिर्माण प्रक्रिया चला रहा था जहां एक बिजली कनेक्शन लगाया गया था और इसलिए, अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 10 थी। निगम का यह भी मानना था कि पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन का कारोबार एक ही परिसर में चलता है और इसलिए, अधिनियम की प्रयोज्यता का पता लगाने के लिए दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को एक साथ मिलाना होगा और चूंकि कर्मचारियों की संख्या दस से अधिक थी, इसलिए अधिनियम स्पष्ट रूप से लागू था।

(3) इस मामले पर निम्न न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन एक ही परिसर में एक ही बिजली कनेक्शन के साथ चल रहे थे और चूंकि वे अलग-अलग संस्थाएं नहीं थे और दस से अधिक लोगों को रोजगार दिया था, इसलिए, अधिनियम लागू था- 30 अक्टूबर, 1979 के आदेश के तहत, व्यावसायिक संस्था द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था। यह अपील उपरोक्त आदेश से है।

(4) तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, इस मामले में कर्मचारियों की कुल संख्या दस से अधिक लेकिन बीस से कम है। इसलिए, इन परिसरों पर निर्धारित किया जाने वाला पहला प्रश्न यह होगा कि क्या इस मामले में किए गए दो प्रकार के व्यवसाय में से किसी को 'विनिर्माण प्रक्रिया' कहा जा सकता है। ताकि उपरोक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 3 के आधार पर अधिनियम को आकर्षित किया जा सके। अधिनियम में, धारा 2(12) 'फ़ैक्टरी' को परिभाषित करती है जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया का संदर्भ है और अभिव्यक्ति 'विनिर्माण प्रक्रिया' का वही अर्थ है जो फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 में दिया गया है। उस अधिनियम की धारा 2(के) में निहित विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा को पढ़ने से पता चलेगा कि तेल की पंपिंग विनिर्माण प्रक्रियाओं में से एक है। क्या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल बेचने को तेल पंप करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है, यह फिर से एक प्रश्न होगा। परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि तेल, पानी, सीवेज या किसी अन्य पदार्थ को पंप करने की प्रक्रिया को भी एक विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन मेरे विचार से इसमें पेट्रोल या डीजल की डीलरशिप शामिल नहीं होगी। यह सच है कि

इसमें कुछ पंपिंग प्रक्रिया शामिल है क्योंकि पेट्रोल डीलरों द्वारा पेट्रोल और डीजल को विशाल टैंकों में संग्रहीत किया जाता है, लेकिन परिभाषा का अंतर्निहित उद्देश्य रिफाइनरियों से तेल या पृथ्वी के नीचे से पानी आदि को पंप करना प्रतीत होता है। अनिवार्य रूप से, पेट्रोल पंप डीलर द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय पेट्रोल या डीजल बेचना है, न कि तेल पंप करना। इसलिए, मेरा दृढ़ विचार है कि पेट्रोल डीलर द्वारा पेट्रोल या डीजल की बिक्री एक 'विनिर्माण प्रक्रिया' नहीं होगी।

(5) मोटर कारों आदि की मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन के संबंध में, निगम के वकील चाहते हैं कि इसे लाया जाए, फ़ैक्टरी अधिनियम की धारा 2 (के) (i) के अनुसार 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अंतर्गत, जिसमें 'मरम्मत' शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन इस शब्द को इसके बाद आने वाले शब्दों "किसी भी लेख या पदार्थ के उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान की दृष्टि से" के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, मरम्मत की प्रक्रिया इनमें से किसी भी दृष्टिकोण के साथ होनी चाहिए जो इस मामले में किए गए व्यवसाय में पूरी तरह से गायब होगी। इस मामले को मेरे द्वारा ईएसएल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रिपलएक्स ड्राई क्लीनर्स और अन्य में विस्तार से निपटाया गया था, जिसमें ड्राई क्लीनिंग की प्रक्रिया को 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा में शामिल करने की मांग की गई थी क्योंकि परिभाषा में "धुलाई और सफाई" शब्द शामिल थे। उस मामले में मैंने निष्कर्ष दर्ज किया कि जब तक प्रक्रिया के बाद कोई नई विपणन योग्य वस्तु अस्तित्व में नहीं आती है और उसका उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान नहीं किया जा सकता है, तब तक उस प्रक्रिया को विनिर्माण प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान मामले में भी यही तर्क लागू होगा। ग्राहक अपने वाहन लेकर आते हैं और मरम्मत आदि के बाद सर्विस चार्ज देकर अपने वाहन ले जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मोटर वाहनों की मरम्मत भी कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है।

(6) एक बार जब अपीलकर्ता फर्म द्वारा किए गए दो प्रकार के व्यवसाय 'विनिर्माण प्रक्रिया' में नहीं पाए जाते हैं, तो अधिसूचना की क्रम संख्या 1 लागू नहीं होगी। माना जाता है कि, उसका क्रम संख्या 2 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है और फिर हमारे पास क्रम संख्या 3 बचता है जो इस प्रकार है-

"निम्नलिखित प्रतिष्ठान जहां बीस या अधिक व्यक्तियों को पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन मजदूरी के लिए नियोजित किया गया था, या नियोजित किया गया था, अर्थात्: -

(i) होटल,

(ii) रेस्तरां,

(iii) दुकानें,

(iv) सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान,

(v) पूर्वावलोकन थिएटर सहित सिनेमा, और

(vi) कामकाजी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2(डी) में परिभाषित समाचार पत्र प्रतिष्ठान"।

अपीलकर्ता के अनुसार, उनका मामला क्रम संख्या 3 के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन निगम-प्रतिवादी के वकील का कहना है कि यह अधिसूचना के क्रम संख्या 3 के मद संख्या (iii) के अंतर्गत आएगा क्योंकि यदि अपीलकर्ता का व्यवसाय नहीं है विनिर्माण प्रक्रिया यह निश्चित रूप से एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां या तो पेट्रोल या डीजल बेचा जाता है या अपने मोटर वाहन लाने

वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है और जिस परिसर में ये दोनों चीजें रखी जाती हैं उसे 'दुकान' कहा जाएगा। मेरा विचार है कि विवादित परिसर 'दुकान' शब्द के अंतर्गत आएगा। 'दुकान' को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 2 (xxv) और पंजाब व्यापार कर्मचारी अधिनियम, 1940 की धारा 2 (1) (पी) में भी परिभाषित किया गया है। इन परिभाषाओं के अनुसार 'दुकान' का अर्थ है कोई भी परिसर जहां कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इसमें कार्यालय, स्टोर-रूम, गोदाम या गोदाम शामिल हैं, चाहे वे उसी परिसर में हों या अन्यथा, ऐसे व्यापार के लिए उपयोग किए जाते हैं या व्यापार। जैसा कि मैंने पहले ही पाया है, अपीलकर्ता-फर्म ऑटोमोबाइल की मरम्मत के लिए सेवाएं प्रदान करने के अलावा पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप में लगी हुई है, विवाद में परिसर निश्चित रूप से एक 'दुकान' होगी। मेरे इस दृष्टिकोण को काम चंदर बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले से समर्थन मिलता है, जिसमें यह कहा गया था:

"इसलिए सवाल उठता है कि फिर दुकान क्या है? आम आदमी की समझ में आने वाला यह वाक्यांश उस परिसर से अधिक और कुछ कम नहीं दर्शाता है जहां सामान खरीदा या बेचा जाता है। जहां उनकी कीमत चुकाई जाती है या चुकाई जानी है, यानी खरीद या बिक्री या तो नकद या उधार आधार पर होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि जब ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है तो कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। सबसे अधिक संभावना है, इस अतिरिक्त तत्व को विशेष रूप से दुकान की परिभाषा में इस कारण से शामिल किया गया है कि कुछ स्थान हैं जिन्हें दुकानों के रूप में जाना जाता है, उदाहरण के लिए, टिनस्मिथ की दुकान या मैकेनिक की दुकान, जहां सामान के बजाय सेवाएं बेची जाती हैं, या हो सकता है आंशिक रूप से सामान बेचा जाता है और

आंशिक रूप से सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। मुख्य रूप से यही कारण है कि दुकान की परिभाषा में, व्यापार या व्यवसाय चलाने के अलावा, एक और वैकल्पिक आवश्यकता की परिकल्पना की गई है, अर्थात् ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 3 वर्तमान मामले पर लागू होती है। यह अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि कर्मचारियों की संख्या बीस या अधिक न हो। चूंकि वर्तमान मामले में कर्मचारियों की संख्या स्वीकार्य रूप से बीस से कम है, इसलिए अधिनियम लागू नहीं होगा।

(7) चूंकि उपरोक्त तर्क के आधार पर, अधिनियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, मैं अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए अन्य बिंदु में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं, अर्थात् अपीलकर्ता-फर्म द्वारा चलाए जा रहे दो व्यवसाय अलग-अलग हैं और उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए था और अधिनियम को लागू करने के लिए दोनों व्यवसायों में से प्रत्येक में कर्मचारियों की संख्या बीस या अधिक होनी चाहिए। तदनुसार, जब भी अवसर आए इस बिंदु पर विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

(8) ऊपर दर्ज कारणों से, इस अपील की अनुमति दी जाती है, निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अधिनियम की धारा 75 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी जाती है और यह माना जाता है कि अपीलकर्ता-फर्म इसके दायरे में नहीं आती है। अधिनियम द्वारा और निगम द्वारा की गई मांग अवैध है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यदि अपील स्वीकार करते समय स्टे नहीं दिए जाने के कारण निगम ने पहले ही प्रश्नगत राशि वसूल कर ली है, तो अपीलकर्ता इसे वापस पाने का हकदार होगा। मैं तदनुसार ऑर्डर करता

हूं। चूंकि महत्व के कानून का प्रश्न शामिल था, इसलिए पार्टियों को इस अपील की अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh